Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.7282, Volume 09, No. 02, April, 2019, pp. 140-142

Hkkjrh; f'k{kk 0;oLFkk e: ofpr oxZ

डॉ. नीतू सिंघल*
सुमन शर्मा**

iLrkouk

समाज और राष्ट्र के विकास में शिक्षा की दोहरी भूमिका है। जहाँ एक ओर शिक्षा सामाजिक परम्पराओं का संरक्षण करती है वहीं दूसरी ओर एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बनती है। इस प्रकार शिक्षा मानवता के विकास की कुंजी है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक वर्ग है जो ऐतिहासिक कारणों से धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित रहा है, इनकी स्थिति का मार्मिक चित्रण करते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा है. ''प्रारम्भिक समाज जिस अपवित्रता को मानता था वह थोड़े समय रहती थी और खाने पीने आदि प्राकृतिक कर्त्तव्यों अथवा जीवन में जन्म–मृत्यु आदि जो असाधारण अवसर होते है। उन्हीं पर पैदा होती थी किन्तु यह पाँच छः करोड़ आदमियों का अछूतापन जन्म मृत्यु आदि के अछूतेपन से सर्वदा भिन्न है। यह स्थाई वंशानुगत कलंक है जो किसी तरह धुल नहीं सकता''। फलस्वरूप सामाजिक पद सोपान में उनकी स्थिति निम्न श्रेणी की है जो उत्पीड़न के शिकार है तथा जिनका जीवन अभाव दुख और अपनापन का जीवन है वास्तव में वंचित वर्ग की श्रेणी में दुर्बल वर्ग के वे लोग है जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त निम्न है। इस प्रकार भारत के विकास क्रम में वंचित शब्द का प्रयोग प्रायः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे लोगों के संबंध में किया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवनयापन कर रहे हैं ऐसा भी देखा गया है कि वंचित वर्ग के सभी लोग सचेत नहीं है।

मनुष्य की तीन आधारभूत आवश्यकताऐं होती है– रोटी, कपड़ा और मकान। इन आवश्यकताओं की पूर्ति से पहले वह न जो पढ़ने–पढ़ाने की बात सुनना चाहता है और न ही अपनाना चाहता है । देश की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का अधिकांश समय पेट की भूख मिटाने के लिए रोजी रोटी जुटाने में चला जाता है। पेट की भूख और अशिक्षा के कारण उनका ये मानना है कि बच्चा पढ़कर क्या करेगा। यदि कुछ काम करेगा तो पैसा मिलेगा, पढ़ाई से क्या मिलेगा और यदि घर में रहेगा तो अपने छोटे भाई–बहिनों को खिलाकर अपने माँ–बाप की मदद करेगा। तथापि प्रजातंत्रीकरण के परिणामस्वरूप उनमें नई चेतना जाग्रत हुई है। यदि हमें देश की प्रगति करना है तो इस वर्ग को सचेत करके इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक विकास पर ध्यान देना होगा। पश्चिमीकरण ने स्वाभाविक रूप से धार्मिक अन्धविश्वास और जाति व्यवस्था के धार्मिक एवं प्राकृतिक आधार को पीछे छोड़ते हुए उस विचारधारा को स्थापित किया कि एक उन्नत और विकसित देश के लिए प्रत्येक व्यक्ति के कार्यो का निर्धारण उसकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। परन्तु आज भी हमारे सामने ऐसी घटनाऐं घट जाती है जिनके कारण हमारी सामाजिक समरूपता के प्रयास पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एक बार प्राथमिक विद्यालय में उच्च जाति के विद्यार्थियों ने दलित जाति के रसोईये के हाथ से बना मिड डे मील खाने से मना कर दिया। वास्तव में यह घटना बच्चों द्वारा नहीं की गई है बल्कि इस भावना को पैदा करने का दोष उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को जाता है। क्योकि उन्होने ही अपने बच्चों के मन में मानवता के स्थान पर जातिवाद का जहर घोल दिया है। वे बच्चे इतने दोषी नहीं है क्योकि बच्चे जो देखते है सीखते हैं यह प्रदूषित संस्कार उन्हें परिवार व समाज द्वारा ही मिले है।

* निर्देशिका, महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी, महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

वास्तव में जातिवाद समाप्त करने के लिए वंचित वर्ग के लिए शिक्षा व रोजगार अनिवार्य करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योकि शिक्षा के द्वारा ही इस वर्ग को उस अंधकार से बाहर ला सकते है, जिसमें वे सदियों से भटक रहे हैं। भारतीय संविधान में समता स्वतन्तत्रा, न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है हमारे संविधान जाति वर्ग, धर्म आय एवं लैंगिंक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करते है, और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते है। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिंक शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने की बजाय एक स्वतन्त्र अधिगतकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है जिससे लोकतांत्रिक समाज मे बच्चे के समुचित समावेशन हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके। समावेशन की ठोस प्रक्रिया प्रतीकात्मक लोकतन्त्र से भागीदारी आाधारित लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त करती है। अंग्रेजी शासन काल तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने वंचित वर्ग के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कदम उठाये है। तथा विविध सुविधाऐं प्रदान की है। जिसमें छात्रवृति मुफ्त वर्दी, भोजन, पुस्तके, छात्रावास की सुविधा इसके अतिरिक्त शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थाओं में इनके लिए आरक्षित स्थानों के प्रावधान के परिणाम स्वरूप इनकी शिक्षा में भी वृद्धि हुई है। पंचायत से लेकर लोकसभा तक इनके लिए आरक्षित स्थानों व प्रशासन में नौकरी की सुविधाओं व सुरक्षित स्थानों के कारण इनमे आत्म चेतना की भावना विकसित डुई है। अतः आज प्रबल आवश्यकता इस बात की है कि हमें सामान्य लोगों तक सुविधाऐं पहुँचाना है ताकि उनका उत्थान हो। वंचित वर्ग में शैक्षिक उन्नयन हेतु शिक्षण प्रशिक्षण तथा उपचारी शिक्षण की कक्षाऐं आयोजित की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में इस वर्ग के शिक्षकों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षण हेतु चुना जा रहा है। इस हेतु– भारतीय संविधान में अस्पृश्यता निवारण हेतु अनेक प्रावधान किये गये –

- संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात पर बल दिया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म लिंग व जाति के आधार पर कोई भेदवाव नहीं किया जाएगा। दुकानों, होटलों व मनोंरंजन स्थलों पर प्रवेश की समान सुविधाऐं होगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की समान सुविधाऐं होगी तथा सार्वजनिक कुओं, तालाबों स्नान गृहों, सड़कों आदि के उपयोग की समान सुविधाऐं होगी।
- अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है।
- अनुच्छेद 16 में राज्य की सभी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान सुविधाऐं और नियुक्ति के समान अवसर प्रदान किये गये है। सरकारी नौकरियों में केवल जाति भेदभाव को ही समाप्त नहीं किया गया बल्कि वर्ग के लिए प्रतिशत निधार्रित स्थान भी रखे गये है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।
- अनुच्छेद 38 सभी नागरिकों कों समान सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद 46 राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। यदि बच्चे विद्यालय नहीं जाने की स्थिति में है उन बच्चों को दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जा रही है। उन परिवारों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजे जाने के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहें है। साथ ही प्रोढ़ एवं निरक्षर महिलाओं की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कई स्थानों पर देखने में आया है कि विद्यालय में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए कक्षा में बैठने का अलग स्थान निर्धारित कर दिये जाते हैं इसके अतिरिक्त उच्च जाति के विद्यार्थियों की तुलना में निम्न जाति के बच्चों के साथ अधिक सख्ती का व्यवहार किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई बार इन विद्यार्थियों से

तुच्छ कार्य करवाये जाते हैं जैसे विद्यालय में झाड़ू लगाना, शौचालयों की सफाई कराना आदि इस प्रकार के व्यवहार के कारण अनुसूचित जाति के ये बच्चे अपने आस–पास में अन्य अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ ही खेलने चले जाते है जो विद्यालय नहीं आते इसका करण है कि उच्च जातियों के बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं खेलने देते हैं। उपर्युक्त परिदृश्य के सन्दर्भ में यह अनिवार्य हो जाता है कि वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अधिगम अध्यापन कार्य योजना इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए जिससे इन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मुख रखा जाए। इस सन्दर्भ में सुझाव दिये गये है ताकि ये बच्चे भी विद्यालयों के समस्त क्रियाकलापों में सम्मलित हो सकें।

ofpr oxZ d cPpk dh vPNh f'k{kk d l>ko

- विद्यालयों में अध्यापकगण अन्य विद्यालय कर्मियों तक विद्यार्थियों के लिए व्यवहार मानदंड स्थापित किए जाए।
- बच्चों की आवाजों को ध्यान से सुनना इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है।
- कक्षा में बैठने संबंधी यह प्रतिरूप सुनिश्चित किया जाना चाहिऐ। बच्चों को जाति लिंग के आधार पर अलग नहीं बैठाया जाये।
- ऐसी पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप जो सामाजिक अवरोध या बाधाओं को तोड़ने में सहायक होती है। जैसे– खेलकूद, संगीत, ड्रामा इत्यादि प्रोत्साहित किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न पृष्ठ भूमियों के बच्चों की अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का अवसर भी मिलेगा।
- समावेशन सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है परन्तु अब तक इस प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका की अवहेलना होती रही है। अतः सेवा पूर्व प्रशिक्षण से आरम्भ करते आगे तक अध्यापकों की संवेदनशीलता को बढ़ाने के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शारीरिक दण्ड तथा दुर्व्यवहार को दूर करने संबंधित सुझाए गए मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जाए।
- ऐसे जिलों में जहां वंचित वर्गों के बच्चों की संख्या अधिक हो पर्याप्त मात्रा में सुविधाऐं प्रदान करना वंचित वर्गों के बच्चों में शिक्षा में बढावा देना है।
- अनुसूचित जाति के विद्यार्धियों के सम्मुख आने वाले अधिगम संबंधी बाधाओं को समझने के लिए क्रमबद्ध शोध की आवश्यकता है।

अतः वंचित वर्ग को राजनीति में सक्रिय सहभागिता हेतु शिक्षा, अपने अधिकारो का बोध, उचित नेतृत्व, समयानुसार अवसर दिये जाये जिससे वंचित वर्ग में राजनैतिक चेतना का विकास हो सके।

lnHk xUFk lph

- Government of India (2010), The Gazette of India, Eighty Sixth Amendment Act, 2002, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, New Delhi.
- Jain, M.K. (2005), Research Methodology and Statistical Techniques, Shree Publisher and Distributors, New Delhi, p. 76-95.
- Mahajan, B., Khullar, K.K. (2000), Educational Administration in Central Government, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi.
- Tenth Five-Year Plan (2002-2007), Sectoral Programmes and Policies, Vol. II of the Planning Commission, New Delhi, p.19.

♦❒♦